राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना संख्या : 244/2024

अपील संख्या : 2501/2024

मोहम्मद अलीम —अपीलार्थी

बनाम

1. डॉ. कृष्ण कुनाल, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री आशीष मोदी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मीना लसारिया, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, टोंक

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.10.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलबीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 282/2019 में दिनांक 09.08.2019 को पारित आदेश (अनुलग्नक—1) की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 09.08.2019 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :—

> ''अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा—निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।।''

3. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 27.08.2024 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 27.08.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राजकीय प्रभारी अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे तथा सक्षम अधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिकरण के आदेश दिनांक 27.08.2024 की अपीलार्थी द्वारा पालना नहीं की जाकर अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है जो वैधानिक दृष्टि से चलने योग्य नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अवमाननाकर्ता का प्रार्थना पत्र बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य